Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.shisrrj.com
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 4
ISSN : 2581-6306 **doi :** https://doi.org/10.32628/SHISRRJ

जाति-सूचक गालियों की अवधारणा

गोविन्द वर्मा
शोधार्थी ,जामिया मिल्लिया इस्लामिया , नई दिल्ली

Article Info
Publication Issue :
July-August-2023
Volume 6, Issue 4
Page Number : 01-04
Article History
Received : 01 July 2023
Published : 13 July 2023

शोधसारांश- भारतीय समाज में शादी आदि अवसरों पर गाली गीत (गारी गीत) गाने का प्रचलन है जब स्त्रियां पुरुषों को लक्ष्य करके गालियां देती हैं तब उनमें उनके माँ, बहन आदि की गालियां ही होती हैं लेकिन जब पुरुष नहीं होते हैं तब स्त्रियां आपस में गारी गीत गाती हैं।

मुख्य शब्द- भारतीय, समाज, शादी, गाली, गीत।

विश्व के लगभग सभी भाषा–बोलियों में गालियों का प्रचलन और प्रयोग खुले अथवा छिपे तौर पर सदियों से होता रहा है। गालियों के अगर उद्भव एवं विकास पर दृष्टि डालें तो बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। इन्हीं में से एक तथ्य यह है कि बोली अथवा भाषा के उद्भव और विकास के साथ ही गालियों का भी उद्भव एवं विकास होता रहा है। अलग–अलग समय में भाषा के शब्दकोश के साथ–साथ गालियों के भी शब्दकोश में वृद्धि हुई है। यहां पर हम जाति–सूचक गालियों की आम अवधारणाओं एवं समाज में उसके प्रचलन एवं सोच को समझने की कोशिश करेंगे।

विदित है कि किसी भी सभ्य समाज में गालियां सहज स्वीकार्य नहीं हैं। समाज में बहुत से व्यक्ति हमें गालियों का समर्थन करते हुए मिल जायेंगे और अपने तथ्य की पुष्टि के लिए नानाप्रकार के तर्क भी देंगे लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपके घर के अंदर इसप्रकार की शब्दावली प्रयोग में लायी जाती है तब वे अपनी बगलें झांकने लगते हैं। गालियों के वर्जना की बात हिंदी भाषा में सर्वप्रथम पत्रिकओं में उठायी गई। दिसम्बर 1909 ई॰ में जमाना पत्रिका में मुंशी प्रेमचंद का एक लेख 'गालियाँ' नाम से प्रकाशित हुआ था जिसमें गालियों के बारे में बहुत कटु कथन कहे गये "हरएक जाति का बोलचाल का ढंग उसकी नैतिक स्थिति का पता देता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाये तो हिंदुस्तान सारी दुनिया की तमाम जातियों में सबसे नीचे नजर आयेगा। बोलचाल की गंभीरता और सुथरापन जाति की महानता और उसकी नैतिक पवित्रता को व्यक्त करती है और बदज़बानी नैतिक अंधकार और जाति के पतन का पक्का प्रमाण है। जितने गन्दे शब्द हमारी ज़बान से निकलते हैं शायद ही किसी सभ्य जाति की जबान से निकलते हों।"[1]इस समय तक हिंदी साहित्य में अपशब्दों का प्रयोग नाम मात्र होता था इसलिए प्रेमचंद ने साहित्य की आलोचना नहीं की है। जबकि अखबारों में अपशब्दों या गालियों खासकर लक्षणा और व्यंजना के रूप में दी जाने वाली गालियों की खबर उन्होंने ली है। 'गालियां' लेख में प्रेमचंद ने लिखा है– "लखनऊ में एक जिंदादिल अख़बार है। वह भी होली में मस्त हो जाता है और मोटे–मोटे अक्षरों में पुकारता है–

Copyright © 2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution **4.0 International License (CC BY-NC 4.0)** which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial use provided the original author and source are credited.

आई होली आई होली, हमने अपनी धोती खोली

यह इस जिंदादिल अख़बार की जिंदादिल है! वह सभ्य और सुसंस्कृत रुचि का समर्थक समझा जाता है। लेकिन जिस देश में गालियों का ऐसा रिवाज हो वहाँ इसी का सुथरे मजाक में शुमार है। कुछ हिंदी अखबारों की जिन्दादिली उन दिनों अथाह हो जाती है। निरंतर कबीरें छपती हैं और अधिकांश कबीरें शब्दों के अलंकार के पर्दे में गालियों से भरी होती हैं।"[2]कुल मिलाकर अगर देखा जाय तो प्रेमचंद गालियों के पक्षधर नहीं थे, न ही साहित्य में न ही समाज में। प्रेमचंद के कहानियों में गालियों का प्रयोग नहीं हुआ है परन्तु अपने उपन्यासों खासकर बाद के यथार्थवादी उपन्यासों में गालियों के प्रयोग से नहीं बच पाए हैं।

जातिसूचक गालियों का जन्म जाति के जन्म के साथ ही माना जा सकता है क्योंकि जाति का उद्भव ही मनुष्य ने कर्म के हिसाब से किया है और सभी जातियों को बराबर नहीं माना गया है, तो श्रेष्ठता-हीनता का बोध यहीं से शुरू हो जाता है। यह तो सभी जानते हैं कि चातुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषसूक्त है, जिसके अनुसार चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदिपुरुष ब्रह्मा के क्रमश: मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुये। अत: जातियों के प्राचीनता के बारे में आप इसी बात से जान सकते हैं कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में ही चार वर्णों के बारे में बताया गया है। जातियों के दुष्परिणामों एवं अप्रासंगिकता के कारण ही भारतीय समाज में तमाम आन्दोलन एवं सम्प्रदायों का जन्म हुआ जिनमें जैन एवं बौद्ध धर्म प्रमुख हैं, इस प्रकार के आंदोलनों से ब्राह्मणवादी अथवा वैदिक व्यवस्था हिलती दिखाई देने लगी यहां तक कि जैन एवं बौद्ध धर्मों को राजाश्रय भी मिलने लगा जिसके कारण इन धर्मों, विशेष तौर पर बौद्ध धर्म हिन्दुस्तान की सीमा से बाहर अनेकानेक देशों में अपने प्रभाव को विपुलता से प्रस्थापित कर रहा था। जिससे ब्राह्मण धर्म को मानने वाले एक अवसर के तलाश में थे और वह अवसर जल्द ही मिला जब भारत की सत्ता पुन: हिन्दू धर्मानुयायी राजवंशों के हाथ में आई। मौर्य वंश के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश(ब्राह्मण साम्राज्य) की स्थापना की इसी के कार्यकाल में स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति की रचना हुई। जिसमें हिन्दू धर्म से संबंधित कर्मकाण्ड, पाखण्ड, जाति-पांति, रीति-रिवाज आदि विधि-विधानों का विस्तार से उल्लेख है और इन विधि-विधानों के न मानने पर कठोर दंड के प्रावधान भी बनाये गये हैं जो कमोवेश आज भी समाज में व्याप्त हैं।मनुस्मृति में ही इन चार वर्णों के अतिरिक्त अन्य जातियों का सविस्तार वर्णन है जैसे कि शुद्र वर्ण के पुरुष और ब्राह्मण वर्ण की कन्या के साथ विवाह करने के पश्चात उत्पन्न संतान को चंडाल कहा जायेगा और उसका पेशा मुर्दा को जलाने का होगा उसका निवास स्थान नगर से बाहर श्मशान में रहेगा। कुत्ता, वेश्या और चंडाल का निवास स्थान प्राय: श्मशान ही होते थे। इनका नगर में प्रवेश वर्जित माना जाता था परन्तु मनु स्मृति में इन नियमों के उल्लघंन पर कड़े दण्ड का प्रावधान बनाया गया। इसी प्रकार किसी शुद्र का धार्मिक ग्रंथों के श्लोकों को सुन लेने पर कान में पिघले हुए कांच को डालने और श्लोक का उच्चारण करने पर जिह्वा को काटने के नियम कालान्तर में बनाये गये इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे दण्डों का प्रचलन समाज में स्वत: प्रचलन में आ गया जिसका किसी भी धार्मिक ग्रन्थ में उल्लेख भी नहीं है। उनको केवल उच्च वर्गों के अत्याचार के कारण समाज में ढोया जा रहा था। खैर!

जातियों और वर्णों पर आधारित गालियों पर बात करने से पहले गालियों के बनने की प्रक्रिया पर कुछ विचार किया जा सकता है वस्तुत: गालियां शब्द विस्तार या शब्द लोप के कारण बनी है। जैसे- दहीजरा (दाढ़ीजार) पूर्वांचल में औरतों द्वारा दी जाने वाली गाली है, मोगल (मुगल) गाली भी अवध में जाती है जोकि मुगल शब्द का बिगड़ा रूप है।वैश्या शब्द की उत्पति पर भगवत शरण उपाध्याय कहते हैं कि -"विश से दो हुए -'वैश्य'और 'वेश्या'। पुरोहित-राजन्यों अथवा, अधिक यथार्थत:, ब्राह्मण-क्षत्रियों से इतर विशों के वंशधर वैश्य हुए और विशों की समान रूप से भुक्ता नारी वेश्या हुई। वेश्या-

जो कालान्तर में पण्य-स्त्री (पैसे से वस्तु रूप में खरीदी जाने वाली), रूपाजीवा, वारांगना आदि कहलाई।"[3]यहां पर गाली वैश्य वर्ण पर बनी है वस्तु का व्यापार करने वाला वैश्य और देह,रूप का व्यापार करने वाली वैश्या, यह समाज के किसी भी स्त्री को बेज्जत, नीचा दिखाने के लिए कदाचित सबसे पहले जबान पर आती है। यहां तक कि धार्मिक कुरीतियों पर किस तरह से गालियां बनी है उसका एक उदाहरण- अथर्ववेद में एक धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञ के दौरान राजा की मुख्य पत्नी(पटरानी) को घोड़े के साथ सम्भोग करने का उल्लेख है। इसका जिक्र भागवत शरण उपाध्याय भी करते हैं- "नारी मनुष्य के साथ कुछ भी कर सकती है, परन्तु पशु के साथ-अश्व के साथ...

सायण-महीधर कैसे उसकी व्याख्या कर सके, ऐतरेय ब्राह्मण में कैसे उसे सम्मिलित किया जा सका? जनमेजय का वह अश्वमेध... पुरोहित तुरकावषेय के अश्व का वह आक्रमण...

हाय, किसे मैं गाली दूं- अश्वमेधययियों को या ऋत्विक पुरोहितों को?"[4]

उपरोक्त अनुष्ठान के कारण ही आज देश के विभिन्न हिस्सों में 'घोड़े का सार(साला)' गाली प्रचलित है, यही नहीं अब तो स्त्रियों को भी कहा जाता है घोड़ी बना दूंगा यह गाली तो महानगरीय कल्चर में ज्यादा प्रचलित है।

ज्ञातव्य है कि भारत के आदिवासियों(शूद्रों) के इष्टदेव शिव थे और यहां के मूलनिवासी लिंगपूजक थे। इस पर आर्यों ने उन्हें बेज्जत करने के लिए इसे ही गाली बना दिया। भगवत शरण उपाध्याय इसके बारे में कहते हैं- "मुझे कृष्ण, दास आदि कह कर सम्बोधित करते, मृध्रवाक् और शिश्नदेवा: कह कर गाली देते, अदेवयु, अयज्वन कह कर धिक्कारते, लांक्षित करते।"[5]

इसके अतिरिक्त तमाम ऐसे शब्द हैं जिनसे गालियां बनी हैं। जिनका उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। मैं यहां जोर देकर कहता हूं कि भारत का कदाचित ही कोई पौराणिक अथवा धार्मिक ग्रन्थ हो जिसमें गाली का उल्लेख न हो। केवल रामचरितमानस के अरण्य काण्ड में लगभग पन्द्रह प्रकार की गालियां हैं।

जातिसूचक गालियों का इतिहास कम पुराना नहीं है महाभारत में कर्ण को बार-बार सूत-पुत्र कहकर भरी सभाओं में बेज्जत किये जाने का प्रसंग सर्वविदित है, यहां तक कि दरबार आदि स्थलों पर विद्वानों को यह ज्ञात होता है कि कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है तब भी किसी को यह सत्य स्वीकार करने का साहस नहीं हुआ और वह अपमानित होता रहा। यदि इस बात को छोड़ भी दें तो व्यक्ति का वर्ण उसके कर्म से निर्धारित होता है, इस प्रकार कर्ण कर्म से क्षत्रिय ही था परन्तु इस बात से भी उसे नकारा गया और वह मात्र अपनी जाति के कारण अपमान के घूंट पीता रहा।

इसीप्रकार क्रौंच पक्षी के वध पर वाल्मीकि द्वारा निषाद को शाप देने का प्रसंग ज्ञात ही है जिसके विषय में कुबेरनाथ राय अपने एक निबंध 'महाकवि की तर्जनी' में लिखते हैं-"अवश्य 'निषाद' से उस ब्राह्मण का तात्पर्य किसी जाति या नस्ल से नहीं था, बल्कि शील और आचार से था। ब्राह्मणों की पुरानी भाषा में 'निषाद' और 'आर्य' शब्द जातिवाचक नहीं, शीलवाचक थे, यद्यपि बाद के ब्राह्मणों ने स्वार्थवश शील की बात को पृष्ठभूमि में कर दिया। उस ब्राह्मण का धिक्कार-वाक्य या तो उस निषाद-विशेष के लिए व्यक्तिगत तौर पर था, अथवा उन सबके लिए था जो इस प्रकार के क्रूर कर्म भविष्य में करेंगे।"[6] यहाँ पर यदि मान लिया जाये तो भी क्या इस प्रकार किसी निरीह प्राणी का वध करने वाले को निषाद कहकर उसे अधम माना गया। विदित है कि वाल्मीकि ने ही राम द्वारा शम्बूक के वध को क्या अधम माना है, सुधि पाठक के पास इस सवाल का जबाव खुद है।

दरअसल पेशे, जाति पर आधारित गालियां भारत में पहले से विद्यमान थीं ही लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद और औद्योगिक युग के कारण जब समाज के विभिन्न वर्गों के पारम्परिक व्यवसाय नष्ट होने लगे तब इनके शोषण में वृद्धि हुई और

इसके पेशे और जाति को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। जैसे कि जुलाहा, धुनिया, अहीर, गड़ेरिया, लोहार, बढ़ई आदि जातियों का सम्मान होता था अब इन जातियों पर भी गालियां बनने लगी।

अहीर, गड़ेरिया, कुर्मी चोर

धर सारे(साले) क टंगरी तोर।

इसी प्रकार चमार, चमाइन, कुजड़ीन, आदि गालियां हैं।उत्तर भारत में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली एक चिड़िया है जिसे 'जंगल बब्ब्लेर' गांव में 'पैपा' कहते हैं, यह पक्षी प्राय: सात-आठ के समूह में रहती हैं और शोर भी बहुत मचाती हैं इस कारण इसे अवध क्षेत्र में 'चमईनिया चिड़िया' या 'धुनियाईन' कहा जाता है दोनों ही शब्द भारतीय समाज में निचले पायदान पर आने वाली दो जातियों के नाम हैं। भारतीय समाज में जातियों पर आधारित बहुत से मुहावरे और लोकोक्ति बनी हैं।

करिया बाभन गोर चमार भूअर ठाकुर डेढ़ सोनार

यहां पर यह बता देना जरूरी है कि गालियां केवल निम्न जातियों को लक्षित करके नहीं बनी हैं अपितु लक्षणा और व्यंजना रूप में वे तथाकथित उच्च जातियों को भी दी जाती हैं। उपरोक्त लोकोक्ति में केवल जाति के वर्णन मात्र से व्यक्ति के माता के सम्बन्ध को तथा अमुक व्यक्ति के चरित्र को रेखांकित कर दिया गया है। जबकि इस पर उस व्यक्ति का कोई वश नहीं है।

भारतीय समाज में शादी आदि अवसरों पर गाली गीत (गारी गीत) गाने का प्रचलन है जब स्त्रियां पुरुषों को लक्ष्य करके गालियां देती हैं तब उनमें उनके माँ,बहन आदि की गालियां ही होती हैं लेकिन जब पुरुष नहीं होते हैं तब स्त्रियां आपस में गारी गीत गाती हैं। ऐसे अवसरों पर भाभियां अपनी ननद को गाली देती हैं।

(स्त्री नाम)... चढ़ी लम्बे खजूर,

छुट गया लहंगा (गाली)... मजूर।

इस प्रकार की तमाम गालियां लोक में प्रचलित हैं और इसे चटकारे लेकर गाया भी जाता है।

कुल मिलाकर कहा जाय तो गालियां किसी व्यक्ति के पौरुष को ललकारने या रेखांकित करने उसे नीचा दिखाने आदि के रूप में समाज में बहुत गहरे व्याप्त हैं। किसी भी सभ्य समाज में गालियों की स्वीकार्यता नहीं हैं।

1. प्रेमचंद, (2003). प्रेमचंद के विचार(भाग-3). नई दिल्ली: प्रकाशन संस्थान. पृष्ठ संख्या-148.
2. वही. पृष्ठ संख्या- 153.
3. उपाध्याय, भगवत शरण (2016), खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर, पीपुल्स पब्लिशिंग हाऊस (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली-110055, ISBN: 81-7007-196-8, पृष्ठ- 61
4. उपाध्याय, भगवत शरण (2016), खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर, पीपुल्स पब्लिशिंग हाऊस (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली-110055, ISBN: 81-7007-196-8, पृष्ठ- 17
5. उपाध्याय, भगवत शरण (2016), खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर, पीपुल्स पब्लिशिंग हाऊस (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली-110055, ISBN: 81-7007-196-8, पृष्ठ- 79
6. शर्मा, अंजुम (सं), (2021), निबंध-मान, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड जी-17, जगतपुरी, नई दिल्ली-110051, ISBN: 978-81-8361-998-1